मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक/एनएचएम/एसपीएमयू/2020/11694 भोपाल, दिनांक 08/09/2020

प्रति,

1. **समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।**

विषयः–जिला स्तर पर Covid Command and Control Centre की स्थापना बाबत्।
संदर्भः–पत्र कमांक/एसपीएमयू/2020/एनएचएम/11440 दिनांक 03.09.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जिला स्तर पर Covid Command and Control Centre की स्थापना एवं व्यवस्थायें सुनिश्चित करने बाबत् दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र के आलोक में जिला स्तर पर Covid Command and Control Centre की स्थापना हेतु निम्नानुसार एकजाई निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

Covid Command and Control Centre की स्थापना का उद्देश्यः–

a. नागरिकों को उनके जिले में संचालित फीवर क्लीनिक/सेम्पल संग्रहण केन्द्र की जानकारी on demand उपलब्ध कराना।

b. नागरिकों को कोविड प्रबन्धन के लिये चिन्हित संस्थाओं यथा–CCC, DCHC तथा DCH की में अद्यतन बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी on demand उपलब्ध कराना।

c. ऐसे Covid positive मरीज जिन्हे home isolation में रखा गया है, की चिकित्सकों द्वारा video calling के माध्यम से सक्रिय पर्यवेक्षण ।

d. Home isolation में रखे गये Covid-19 positive मरीजों के लिये one point contact के रूप में कार्य करना।

e. यदि home isolated Covid-19 Positive मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो स्थानीय समन्वय कर Referral transport के माध्यम से ऐसे मरीज को कोविड उपचार के लिये चिन्हित संस्था में भरती कराना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार व्यवस्थायें की जाना सुनिश्चित करें:–

1. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक Covid Command and Control Centre की स्थापना की जाये। Covid Command and Control Centre में कुल कितनी सीटें हों, यह जिले की शहरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या, स्थानीय caseload, positivity आदि बिन्दुओं के आधार पर निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया जाये।

2. प्रत्येक सीट पर एक कम्प्यूटर दक्ष शासकीय कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। इन कर्मचारियों का दायित्व कॉल सेन्टर पर land होने वाली समस्त कॉल्स को रिसीव कर, उनका युक्तिसंगत समाधान करना होगा।

3. प्रत्येक 3–5 सीट्स पर एक चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में आयुष चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाये।

4. Covid Command and Control Centre 24X7 संचालित रहेगा। इसके लिये आवश्यक मानव संसाधन की 3 पृथक–पृथक शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाये।

5. Covid Command and Control Centre हेतु राज्य स्तर पर **एकल (कॉमन) नंबर 1075** होगा। नागरिक द्वारा जिले के STD Code तथा नंबर 1075 डायल करने पर कॉल सीधे जिला स्तरीय Covid Command and Control Centre पर land करेगी। उदाहरणतः यदि जबलपुर में रहने वाले किसी नागरिक को जबलपुर के Covid Command and Control Centre से संपर्क स्थापित करना हो, तो उन्हें जबलपुर जिले के STD Code 0761 के साथ नंबर 1075 डायल करना होगा।

6. जिला स्तरीय Covid Command and Control Centre की स्थापना हेतु राज्य स्तर से BSNL को प्रत्येक जिले में एक PRI line, वीडियो कॉलिंग हेतु 10 Mbps का ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन, तथा 3 मोबाईल नंबर, जिन पर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग एक्टिवेट की जा सकेगी, प्रदाय किये जाने हेतु कार्यादेश दिये गये हैं।

7. अपेक्षा है कि जिला प्रशासन स्थानीय BSNL अधिकारी से समन्वय कर यथाशीघ्र बिन्दु कमांक–6 अनुसार अधोसंरचना स्थापित कराते हुये, जिला स्तरीय Covid Command and Control Centre को कियाशील करेंगे।

8. **Covid Command and Control Centre के माध्यम से होम आईसोलेटेड कोविड पॉजिटिव मरीज के पर्यवेक्षण हेतु out bound वीडियो कॉलिंग का प्रबंधन** :–

8.1 ऐसे कोविड पॉजिटिव मरीज जिन्हें होम आईसोलेशन में रखा गया है, को Covid Command and Control Centre में तैनात किये गये चिकित्सक के द्वारा एक दिन में दो बार वीडियो कॉल किया जायेगा। इसके लिये BSNL द्वारा उपलब्ध कराये गये नंबर पर व्हाट्सअप install कर, वीडियो कॉलिंग सेवा उपयोग की जा सकेगी।
यदि किसी जिले में 3 से अधिक नंबर पर वीडियो कॉलिंग सेवा सक्रिय की जानी है, तो स्थानीय प्रशासन BSNL अधिकारी से समन्वय कर अतिरिक्त नंबर पर व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग सेवा की व्यवस्था कर सकेंगे।

8.2 COVID 19 मरीज से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर, Covid Command and Control Centre पर नियुक्त चिकित्सक उनकी चिकित्सकीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। उक्त मॉनिटरिंग हेतु SARTHAK portal पर Covid Command and Control Centre हेतु पृथक से login credentials बनाये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जिले के समस्त होम आईसोलेटेड मरीजों की लाईन लिस्ट देखी जा सकेगी तथा प्रत्येक दिवस में 2 बार होम आईसोलेटेड मरीजों की चिकित्सकीय स्थिति संबंधित सूचकांकों की प्रविष्टी पोर्टल पर की जा सकेगी।

8.3 अपेक्षा है कि COVID 19 पॉजिटिव मरीजों को होम आईसोलेशन में रखे जाने के साथ ही संबंधित पॉजिटिव मरीजों को अपने मोबाईल पर Sarthak LITE app डाऊनलोड करने का अनुरोध किया जाये। Sarthak LITE app पर अब होम आईसोलेटेड कोविड 19 पॉजिटिव मरीज द्वारा सेल्फ रिपोर्टिंग किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। Sarthak LITE app डाऊनलोड किये जाने उपरांत होम आईसोलेटेड कोविड 19 पॉजिटिव मरीज स्वयं पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मामीटर के माध्यम से दैनिक रूप से चिकित्सकीय सूचकांकों की जानकारी एप पर अद्यतन करेंगे, जो कि जिला स्तरीय Covid Command and Control Centre के login पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।

8.4 स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आईडीएसपी/2020/1439 दिनांक 24/08/2020 में दिये गये मानकों के आलोक में यदि किसी होम आईसोलेटेड मरीज की स्थिति ऐसी है कि उन्हें CCC/DCHC में तत्काल शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता हो, तो ऐसे मरीज को CCC/DCHC में तत्काल शिफ्ट किये जाने हेतु Command and Control System के चिकित्सको द्वारा समन्वय किया जाएगा। **Mobility support के रूप में प्रत्येक Covid Command and Control Centre पर एक Dedicated COVID ambulance अनिवार्य रूप से तैनात कराई जाएगी।**

8.5 Covid Command and Control Centre पर तैनात चिकित्सकों को होम आईसोलेटेड पॉजिटिव मरीजों के पर्यवेक्षण के सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य स्तर से की जा रही है। स्थानीय स्तर पर Covid Command and Control Centre में तैनात चिकित्सकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

9. Covid Command and Control Centre पर incoming (आने वाली) calls का प्रबंधन :–

9.1 Covid Command and Control Centre पर सामान्य नागरिक कोविड संबंधी जानकारियों के लिए कॉल कर सकेंगे। Covid Command and Control Centre के माध्यम से नागरिकों को उनके निकटस्थ फीवर क्लीनिक, सेम्पल संग्रहण केन्द्र, CCC/DCHC/DCH तथा उनमें उपलब्ध बिस्तरों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

9.2 इसके लिए यह आवश्यक है कि सार्थक पोर्टल पर प्रत्येक जिले में संचालित फीवर क्लीनिक, सेम्पल कलेक्शन सेंटर, CCCC/DCHC/DCH की विस्तृत जानकारी, को समय–समय पर **अद्यतन** किये जाने तथा कॉल रिसिव करने वाले शासकीय कर्मचारी को SARTHAK portal पर उक्त जानकारी को access करने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने की विधिवत् व्यवस्था की जाए।

9.3 SARTHAK portal के **manage treatment facility tab** मे सप्ताह में कम से कम दो बार जिले में संचालित फीवर क्लीनिक, सेम्पल संग्रहण केन्द्र, CCCC/DCHC/DCH की जानकारी portal पर अद्यतन की जानी चाहिए। साथ ही CCCC/DCHC/DCH में बिस्तरों की उपलब्धता की संस्थावार जानकारी प्रतिदिन तीन बार Form 3B में अद्यतन की जाये ताकि नागरिकों को सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

अतः Form 3B जिसके माध्यम से मरीजों के भर्ती तथा डिस्चार्ज की जानकारी SARTHAK portal पर प्रतिदिन रिपोर्ट की जाती है, को दिन में कम से कम **तीन बार प्रातः 10 बजे, दोपहर 3 बजे तथा सांय 8 बजे अद्यतन किया जाये।**

कोविड अस्पतालों की सुविधा हेतु Form 3B पर डाटा अद्यतन की व्यवस्था अब Sarthak LITE पर भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिये प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था प्रभारी को Sarthak LITE एप डाऊनलोड कर, app पर ट्रीटमेंट फेसिलिटी के रूप में रजिस्टर करना होगा। ट्रीटमेंट फेसिलिटी के लिये login credentials प्राप्त हो सकेंगे। SARTHAK portal पर Form 3B अद्यतन करने के स्थान पर प्रत्येक ट्रीटमेंट फेसिलिटी (CCCC/DCHC/DCH) प्रभारी सीधे Sarthak LITE app पर दिन में 3 बार, श्रेणीवार, भर्ती तथा उपचारित मरीजों की जानकारी अद्यतन कर सकते हैं।

9.4 स्पष्ट है कि Covid Command and Control Centre पर आने वाली समस्त कॉल्स के युक्तिसंगत निराकरण हेतु केन्द्र पर तैनात किये गये शासकीय कर्मचारियों को जिले में संचालित फीवर क्लीनिक, सेम्पल कलेक्शन सेंटर, कोविड उपचार हेतु चिन्हित CCCC/DCHC/DCH संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाये ताकि नागरिकों की पृच्छा का वे समाधानकारक निराकरण कर सकें।

9.5 उदाहरणार्थ यदि मण्डला जिले की तहसील निवास का कोई नागरिक Covid Command and Control Centre पर कॉल कर, अपने निकटस्थ सेम्पल कलेक्शन सेंटर की जानकारी चाहता है तो यह आवश्यक होगा कि जिला प्रशासन द्वारा :–

(1) SARTHAK portal पर जिले के समस्त फीवर क्लीनिक, सेम्पल संग्रहण केन्द्र, CCCC/DCHC/DCH की अद्यतन जानकारी भरी गई हो।

(2) जिले के Covid Command and Control Centre में तैनात शासकीय कर्मचारी को SARTHAK portal पर उक्त जानकारी access करने का सघन प्रशिक्षण दिया गया हो।

(3) CCCC/DCHC/DCH में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या की दिन में कम से कम तीन बार स्थिति अद्यतन की जाये ताकि वास्तविक उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी नागरिक को दी जा सके।

10. राज्य स्तरीय हेल्प लाईन नंबर–104 पर कोविड संबंधी कॉल्स प्राप्त होने की स्थिति में incoming calls सीधे जिला मुख्यालय पर स्थित Covid Command and Control Centre पर डायवर्ट किये जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके माध्यम से राज्य स्तरीय हेल्प लाईन 104 पर प्राप्त होने वाले कोविड संबंधी कॉल्स जिला स्थित Covid Command and Control Centre सीधे प्राप्त कर सकेंगे।

11. उक्त निर्देशों के आलोक में यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक जिले द्वारा वर्तमान में लगाई गई MMU तथा RRT का युक्तियुक्तकरण कर लिया जाये तथा फील्ड टीम्स में केवल आवश्यकतानुसार ऐसी टीम रखी जाये, जिनमें एक–एक चिकित्सक/चिकित्सा अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकारी हो। उक्त युक्तियुक्तकरण उपरांत उपलब्ध AMOs/MOs को ही Covid Command and Control Centre हेतु redeploy किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्थायें की जाना सुनिश्चित करें।

7/9/20

(मोहम्मद सुलेमान),
अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लो0स्वा0एवं प0क0विभाग

पृ0कमांक / एनएचएम / एसपीएमयू / 2020 / 11695 भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2020

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0।
3. अपर संचालक (आईडीएसपी), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।

अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लो0स्वा0एवं प0क0विभाग